न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 4/2022 GCMS NO 2022/16
दायरा तिथि : 12.01.2022
आदेश तिथि : 25-5-2022

प्रार्थी :–
उज्जवल परिहार पुत्र अशोककुमार प्रजापत
निवासी हाऊस नंबर 54/55, माली समाज छात्रावास रोड,
बैद्यनाथ बसंत कॉलोनी, सिरोही (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–
हिमांशु पुत्र मोहनलाल अंबावत जाति जैन
जय हिन्द बिल्डिंग नंबर 1/बी 4 फलोकर रूम नंबर 6 डॉ ए.एम. रोड भूलेश्वर कालबादेवी मुम्बई

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 25-5-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1041 रकबा 0.81 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि में आवागमन के लिए रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी हिमांशु पुत्र मोहनलाल अंबावत जाति जैन की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 1042 रकबा 0.96 हैक्टर किस्म **बारानी दोयम** मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रैक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थी पक्ष को नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/1263 दिनांक 06.05.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट पेश की :–

1.यह हैं कि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 1041 रकबा 0.81 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की खातेदारी प्रार्थी श्री उज्जवल परिहार पुत्र अशोककुमार जाति प्रजापत निवासी बंसत कॉलोनी, सिरोही के नाम से दर्ज हैं। खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1042	0.80 हैक्टर	बारानी दोयम	40X4.58= 183.20 वर्गमीटर	हिमान्शु पुत्र मोहनलाल अम्बावत जैन निवासी जय हिन्द बिल्डिंग

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम बिसलपुर की डी.एल.सी.दर 207720/– रूपये प्रति हैक्टयर है।

4.प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं हैं, अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं हैं

प्रकरण में वर्णित हितबद्ध अप्रार्थी हिमान्शु पुत्र मोहनलाल अम्बावत जैन को रजिस्टर्ड डाक से भेजा लिफाफा इण्डियन पोस्ट विभाग की वैब साईट्स से निकाले तामीली स्टेट्स के अनुसार दिनाक 19.1.2022 का कालबादेवी हैड ऑफिस से डिलिवर्ड होना साबित होने से प्रोपर तामील हुआ, परन्तु अप्रार्थी इसके बावजुद न्यायालय में नियत पेशीयो पर अनुपस्थित रहने से न्यायालय आदेशिका दिनांक 07.03.2022 से अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने से वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री विक्रमसिंह सोलंकी ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को रास्ता उपलब्ध कराये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में मौके पर आवेदित रास्ता के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं हैं। जिस पर तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। जिससे प्रार्थी की मांग अनुसार आवेदित रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित है।

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 4/2022 RCMS NO 2022/16

अनवान उज्जवल परिहार बनाम हिमांशु

<u>अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

जिससे तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर द्वारा पत्रांक राजस्व/2022/1283 दिनांक 06.05.2022 से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा **बिसलपुर** तहसील बाली नंबर 1041 रकबा 0.81 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मे आवागमन हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम **बिसलपुर** के खसरा नंबर **1042 रकबा 0.96 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मेसे कुल 183.20 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।** राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि निम्नानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 207720/– प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1042	0.80 हैक्टर	40X4.58=183.20 वर्गमीटर	20.77	3805X2= **7610**	हिमान्शु पुत्र मोहनलाल अम्बावत जैन निवासी जय हिन्द बिल्डिंग

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **7610/–** (अक्षरे सांत हजार छःसौ दस रूपये मात्र) आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री [illegible])
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक 25-5-2022

कमॉक/कोर्ट(रास्ता)/2022/ 1853—1857
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, बिसलपुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय बाली
5. आवेदक प्रार्थी उज्जवल परिहार पुत्र अशोककुमार प्रजापत निवासी हाउस नंबर 54/55, माली समाज छात्रावास रोड, बैद्यनाथ बसंत कॉलोनी, सिरोही (राजस्थान) को सूचनार्थ ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner